फाइल नं0-71-1001/41/2020

संख्या-18/2024/I/501220/2024

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 21 फरवरी, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 250 सीटेड पी0जी0 छात्रावास कार्य हेतु बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/725, दिनांक 20.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 250 सीटेड पी0जी0 छात्रावास कार्य हेतु बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 85.73 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-789-09-मेडिकल कालेज, आगरा हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 250 सीटेड पी0जी0 छात्रावास कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0 1686.59 लाख के सापेक्ष परियोजना की बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि **रू0 85.73 लाख (रू0 पचासी लाख तिहत्तर हजार मात्र)** इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि कार्यपूर्ति, गुणवत्ता, बिल्डिग हस्तान्तरण आदि की समस्त जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनॉक 17.03.2023 (यथा संशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या- 175/2016/2086/71-1-2016- जी- 11/2015 टी0सी0 , दिनांक 04.08.2016 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 85,73,000 (रूपये पचासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037890900 राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

एस0 पी0 सिंह
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस0 पी0 सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।